

पत्रांक— 3/एम0-117/2011सा0प्र0.15340/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सोहैल,
सरकार के सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक-21.8-2026

विषय:- जन-प्रतिनिधियों के प्रति राज्य के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार के प्रभावी अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की अध्यक्षता में दिनांक-17.07.2026 को आयोजित वरीय पदाधिकारियों की बैठक में "राज्य के अधिकारियों द्वारा माननीय विधान सभा सदस्यों के प्रति अपेक्षित प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार के प्रभावी अनुपालन" के संदर्भ में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि (सांसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य) जनता और शासन के बीच की मुख्य कड़ी होते हैं। फलस्वरूप संविधान के अधीन महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने के क्रम में विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन से व्यक्तिगत सम्पर्क करने अथवा पत्राचार करने की आवश्यकता होती है।

3. विदित हो कि पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों यथा- 8841 दिनांक-02.06.2012, 16593 दिनांक-28.12.2017, 1215 दिनांक-21.01.2018, 9423 दिनांक-25.08.2021, 16593 दिनांक-28.12.2017 एवं पत्रांक-13338 दिनांक-09.11.2021 तथा संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-183 दिनांक-19.02.2021 द्वारा प्रासंगिक विषय के संदर्भ में समय-समय पर अनुदेश निर्गत किया गया है।

4. अतः माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा की गयी अपेक्षा के आलोक में निम्नांकित निदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय—

(i) माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा किए गए दुर्भाष कॉल का यथासम्भव तत्काल उत्तर दिया जाए। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश उस समय कॉल प्राप्त करना सम्भव न हो, तो यथाशीघ्र उन्हें कॉल कर आवश्यक संवाद स्थापित किया जाए।

(ii) माननीय सदस्यों से प्राप्त पत्राचार की प्राप्ति की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाय तथा उस पर की गयी कार्रवाई अथवा वर्तमान स्थिति से यथासम्भव निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित माननीय सदस्य को अवगत कराया जाय।

(iii) जब कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के कार्यालय में भेंट हेतु आएँ, तब उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप अपेक्षित प्रोटोकॉल, शिष्टाचार एवं सम्मानजनक व्यवहार का समुचित अनुपालन किया जाय।

5. उक्त से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मो० सहैच)

सरकार के सचिव